

23.12.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
प्रार्थीगण के निवेदन पर इनका मूल वाद नोटब्लैक
के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जा
चुका है। अतः यह प्रार्थना पर मैफिपटीन होने
के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली बाद तरीक तकमील होकर
दाखिल रफ्तार हो।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय
में सुनाया गया।

(~~प्रिया~~ अजाज)
RAS